गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक : 571 /4/पी0ए0–टी0/2021–22 दिनांक 12-10-2021

349

एकल निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सपठित उल्लेखित नियम व शर्तो के अन्तर्गत निम्न कार्यों की मुहरबन्द निविदाएं कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण परिसर में स्थित विजया बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) एवं प्राधिकरण वैबसाइट से पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकेंगे। निविदाएं प्राधिकरण कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में रखे निविदा बाक्स में निम्नानुसार निविदा आमंत्रण के दिनांक को अपरान्हः 2:00 बजे तक डाली जा सकती है। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिनांक को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्मो के समक्ष (यदि उपस्थित हों) खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आरक्षित राशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य (रू0 में)	धरोहर राशि (रू0 में)	कार्य की अवधि	जोन का नाम	निविदा विक्रय की अवधि	निविदा आमंत्रण/खोले जाने की तिथि
1.	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के पॉकेट–बी एवं ई में प्रवेश मार्ग पर रेट्रो–रिफ्लैक्ट्रोइज साईनेज बोर्ड लगाने का कार्य।	2.34	1121.00	4700.00	30 दिन	08	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
2.	लाजपत नगर योजना के एफ ब्लॉक में स्थित सामुदायिक केन्द्र की सफाई एवं चार दीवारी की मरम्मत का कार्य।	2.44	1121.00	4900.00	30 दिन	07	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
3.	जी0टी0 रोड के बांयी ओर मोहन नगर चौराहे से शहीद नगर नाले के मध्य स्थित पाईप ड्रेन के मेनहॉल की स्लैब की मरम्मत व ढक्कन लगाये जाने का कार्य।	2.47	1121.00	5000.00	60 दिन	07	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
4.	तुलसी निकेतन योजना में ट्यूबवैल, ओ0एच0टी0 तथा पानी की लाईन सम्बन्धी उपकरणों के अनुरक्षण का कार्य।	3.65	1121.00	7300.00	365 दिन	08	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
5.	साहिबाबाद अण्डरपास के वर्षा जल निकासी हेतु स्थापित सम्पवैल का वार्षिक अनुरक्षण व संचालन का कार्य।	4.02	1121.00	8100.00	365 दिन	विद्युत टीएचए	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
6.	इन्द्रप्रस्थ योजना के पॉकेट–डी, ई एवं एफ में सीवर ओवर फ्लो के निदान हेतु सीवेज सक्शन टैंकर क्षमता 400 ली0 (ट्रैक्टर, ड्राईवर एवं डीजल सहित) से सीवेज खींचकर निकटतम एस0पी0एस0 के मेनहॉल में खाली करने का कार्य। (6 माह हेतु)	5.94	1534.00	11900.00	180 दिन	08	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021
7.	आयुक्त कार्यालय मेरठ मण्डल, मेरठ में रिनोवेशन का कार्य।	8.72	1534.00	17500.00	45 दिन	03	25.10.2021 से 01.11.2021 तक	01.11.2021

नियम व शर्ते :–

1– निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वैबसाइट **www.gdaghaziabad.in** पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का उपयोग कर निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (नॉन–रिफण्डेबल) जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में गाजियाबाद स्थित बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

2– निविदा विक्रय के अंतिम दिवस तथा निविदा आमंत्रण के दिनांक को अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को विक्रय/खोली जायेगी।

3– डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को स्पायरल बाइण्ड/हार्ड बाउइड करने के पश्चात् ही निविदा हेतु प्रयोग किया जायेगा।

4– वैबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और बैंक में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो, तो बैंक में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे।

5– निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध की औपचारिकतायें दस दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।

6– धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बैंक के कैश काउण्टर/कार्यालय से निविदा निर्गत की जायेगी। एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।

7– अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक की कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

8– ठेकेदार को अनुरक्षण प्रकृति के कार्यों हेतु श्रमिक उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख–रखाव करना होगा।

9– लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

10– ठेकेदार अपने श्रमिकों को पहचान पत्र देगा जो ठेकदार द्वारा सत्यापित होगा।

11– निविदा की दरें जी0एस0टी0 रहित होंगी, जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।

12– ठेकेदार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में वैध पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

13– किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता